



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2004/फाल्गुन 26, 1925

No. 49]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2004/PHALGUNA 26, 1925

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2004

सं. 3-14/2004-मापदण्ड.— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारत सरकार की पूर्वानुमति से निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

- (1) इन विनियमों को 'नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003' कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :— इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है।
- (ख) "प्रपत्र" से इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है।
- (ग) "धारा" से अधिनियम की धारा से अभिप्रेत है और
- (घ) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहां परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति हेतु :—

यदि कोई व्यक्ति नया चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का इच्छुक है अथवा कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन का नया अथवा, उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है अथवा अध्ययन के

किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो उसे विनियम ४-६ में उल्लिखित प्रक्रिया एवं मानदण्डों का अनुसरण करना होगा तथा विनियम ४ में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पत्र सहित स्कीम केन्द्र सरकार को भेजेगा ।

४. स्कीम के लिए आवेदन पत्र

- (1) यदि कोई व्यक्ति नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है तो वह प्रपत्र -1 में आवेदन- पत्र सहित स्कीम भेजेगा ।
- (2) यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहता है तो वह प्रपत्र-२ में आवेदन-पत्र सहित स्कीम भेजेगा ।
- (3) यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो वह प्रपत्र-३ में आवेदन- पत्र सहित स्कीम भेजेगा ।

५. प्राधिकारी जिसको स्कीम और आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है :-

विनियम ४ के अधीन आवेदन- पत्र और स्कीम विनियम में संलग्न अनुसूची के अनुसार सचिव, भारत सरकार, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग को भेजी जाएगी ।

६. आवेदन-पत्र भेजने के लिए पात्रता

(1) विनियम ४ के उपविनियम (1) के अधीन व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन भेजने के पात्र हैं यदि-----

(क) उसका एक प्रयोजन आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब के बारे में शिक्षा प्रदान करना हो ।

(ख) यदि प्रस्ताव ५० छात्रों की प्रविष्टता की अनुमति के लिए है तो कम से कम १० एकड़ भूमि का अपना अथवा ६६ वर्ष के लिए पट्टे पर उपयुक्त भूखण्ड हो, और यदि प्रस्ताव १०० छात्रों तक की प्रविष्टि के लिए है तो कम से कम १५ एकड़ का भूखण्ड हो तथा उसी भूखण्ड में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की वचनबद्धता हो ।

(ग) प्रस्तावित स्थान पर नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार से प्रपत्र ४ में "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त कर लिया हो ।

(घ) किसी केन्द्र अथवा राज्य संविधि अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रपत्र ५ में "सम्बद्धता हेतु सहमति" प्राप्त कर ली हो ।

(ङ) आवश्यक सुविधाओं और अवसंरचना सहित कम से कम १०० शय्याओं वाला भारतीय चिकित्सा में अपने अस्पताल का प्रबंधन करता हो ।

(च) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय में भी किसी कक्षा अथवा स्तर अथवा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में पहले से ही छात्रों को प्रवेश नहीं दिया हो ।

(छ) वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में ५ वर्ष की अवधि के लिए वैध निम्न दो निष्पाद प्रत्याभूति देने की स्थिति में हो ।

(i) चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए ,

५० सीटों तक

रु. एक करोड़

५१-१०० सीटों तक

रु. बीस लाख प्रति १० अथवा कम सीटों के लिए

(ii) शैक्षणिक अस्पताल और इस की अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए-----

१५० शय्याओं तक

रु. एक करोड़ पचास लाख

अतिरिक्त शय्याओं के लिए

रु. दस लाख प्रति १० अथवा कम शय्याओं के लिए

छूट उपर्युक्त शर्त राज्य सरकारों/केन्द्रशासित सरकारों पर लागू नहीं होगी यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्ध हो ।

२. महाविद्यालय विनियम ४ के उप-विनियम २ के अधीन आवेदन-पत्र देने का पात्र है यदि,

(क) सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र ४) ।

(ख) केन्द्र अथवा राज्य विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र ५) ।

- (ग) केन्द्रीय परिषद् के मानदण्डों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, स्टाफ, स्थान, उपकरणों और अन्य अवसंरचना के समर्थन में प्रलेखित साक्ष्य देने हेतु सक्षम हो ।
- (घ) केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी में स्नातकीय अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता क्रमशः साढ़े पाँच वर्ष एवं तीन वर्ष की प्राप्ति कर ली हो ।
- (ङ) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा प्रबन्ध किए जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा उपबन्ध (घ) में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने में छूट दी गई हो ।
- (च) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का चयन केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित शैक्षिक वरीयता के आधार पर किया जाता है ।
- (छ) स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डिप्लोमा और अधिमान्य विशेषज्ञता विषयों के पाठ्यक्रम की नामावलि तथा शिक्षक छात्र अनुपात सम्बन्धित विनियम के अनुसार हो ।
- (ज) आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब महाविद्यालय/संस्थान प्रत्येक विषय में अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं के लिए निम्न रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के नाम बैंक प्रत्याभूति देता हो :-

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	-	रु. पचास लाख
अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रम	-	रु. एक करोड़
अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम	-	रु. तीस लाख

छूट- यह शर्त उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी

- (i) जो राज्य सरकारों द्वारा शासित है, बशर्ते कि वे योजना बजट में उल्लिखित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से सुविधाएं पूरी होने तक वित्त प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हो और

(ii) उस विषय में कोई पाठ्यक्रम चलाना है जहाँ परिषद् ने उस विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति पहले से दी हुई हो ।

३. विनियम ४ के उप-विनियम ३ के अधीन कोई चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन करने के लिए पात्र होगा यदि-----

- (क) सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र ४)
- (ख) केन्द्र अथवा राज्य संविधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र ५) ।
- (ग) केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, स्टाफ, स्थान, उपकरणों और अन्य अवसंरचना के समर्थन में प्रलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करें ।
- (घ) स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए साढ़े पाँच वर्ष तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो ।
- (ङ) केन्द्रीय परिषद द्वारा स्नातकीय/स्नातकोत्तर/अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रम/अन्य कोई मान्य पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति हो ।
- (च) चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानको एवं आवश्यकताओं के विनियम में निर्धारित शिक्षक और छात्र अनुपात रखता हो ।
- (छ) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अधिकतम संख्या १०० से अधिक न हो ।
- (ज) आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब महाविद्यालय/संस्थान प्रत्येक पाठ्यक्रम/विषय में अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं के लिए निम्न रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के नाम बैंक प्रत्याभूति देता हो :-

<u>स्नातकीय पाठ्यक्रम</u>	५० सीटों तक	- रु. पच्चीस लाख
	५१ से १०० सीटों तक	- रु. पचास लाख
<u>स्नातकोत्तर उपाधि</u>	प्रति सीट	- रु. पाँच लाख
<u>अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रम</u>	प्रति सीट	- रु. दस लाख
<u>अन्य कोई मान्य पाठ्यक्रम</u>	प्रति सीट	- रु. दो लाख

छूट- उपर्युक्त शर्त राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों के अधीन शासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी बशर्ते वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्ध हो ।

७. केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाएं --

धारा १३ क की उपधारा २ के अधीन केन्द्र सरकार से प्राप्त स्कीम पर केन्द्रीय परिषद् प्रपत्र ६ में अपनी अनुशंसाएं केन्द्र सरकार को भेजेगी ।

८. आवेदन पत्र के साथ भेजने के लिए शुल्क

विनियम ४ के अधीन भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र और स्कीम के साथ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर द्वारा निम्न शुल्क देय होगा :-

(क) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए	-	रु. तीन लाख पचास हजार
(ख) अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए	-	रु. दो लाख प्रति पाठ्यक्रम
(ग) प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए	-	रु. दो लाख

९. अनुमति आदेश

धारा १३ क की उप-धारा (९) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेश में छात्रों के प्रथम बैच को प्रवेश देने से पूर्व भवन निर्माण, अवसंरचना सुविधा, चिकित्सीय एवं सहायक उपकरणों, संकाय एवं स्टाफ से सम्बन्धित प्रारम्भिक आवश्यकताओं की स्थापना का स्पष्ट उल्लेख करेगा ।

प्रपत्र-।

(देखें विनियम ४ का उपविनियम (1))

नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र

भाग -।

१. आवेदक का नाम
(स्पष्ट शब्दों में) _____
२. पूरा पता, पिन कोड सहित,
दूरभाष संख्या, फैक्स एवं ई-मेल
(स्पष्ट शब्दों में) _____

३. मुख्यालय एवं शाखा कार्यालय, यदि कोई है,
का पता, पिन कोड दूरभाष संख्या, टेलिफोन,
फैक्स एवं ई-मेल _____

४. आवेदक की स्थिति
राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/
अथवा विश्वविद्यालय/न्यास _____

५. पंजीयन/संस्थापन
(संख्या एवं तिथि, यदि कोई है) _____

६. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम
एवं पता _____

भाग- I

७. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न अस्पताल के लिए
उपलब्ध प्रारंभिक अवसंरचना सुविधाएं
(यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ लगाएं)
८. न्यास का गठन, सोसाइटी/न्यास के सदस्यों का
ब्योरा, प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का अध्यक्ष
अथवा परियोजना निदेशक, विद्यमान अस्पताल का
अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सदस्यो, परियोजना
के अध्यक्ष अथवा निदेशक तथा अस्पताल के अध्यक्ष
की अर्हता एवं अनुभव,
९. वित्तीय क्षमता
(यदि प्रार्थी ट्रस्ट है तो गत तीन वर्षों का तुलन पत्र,
संसाधनों का विवरण)
१०. प्रस्तावित आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब
महाविद्यालय का नाम एवं पता
११. चिकित्सा महाविद्यालय के प्रस्तावित स्थान की विशिष्टताएं
- (क) स्थान विवरण
- (ख) भूखण्ड का आकार
- (ग) अनुज्ञेय फर्श स्थान निर्देशिका
- (घ) भूमि आधिपत्य
- (ङ) भवन की उँचाई
- (च) मार्ग सुगमता

- (छ) जन वाहनों की उपलब्धता _____
- (ज) विद्युत आपूर्ति _____
- (झ) जल आपूर्ति _____
- (ञ) मल-निष्कासन व्यवस्था _____
- (ट) संचार सुविधा _____
- (ठ) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का मास्टर प्लान _____
- (ड) अभिन्यास योजना, अनुभाग _____
- (ढ) उँचाई एवं तल के अनुसार क्षेत्रफल की गणना _____

१२. शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम

- (क) छात्रों की प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश क्षमता _____
- (ख) प्रवेश विधि _____
- (ग) सीटों का आरक्षण/अधिमान्य आबंटन _____

१३. क्रियात्मक कार्यक्रम

- (क) विभागानुसार तथा सेवानुसार क्रियात्मक आवश्यकताएं _____
- (ख) क्षेत्रीय आबंटन तथा कक्षा के अनुसार बैठने की क्षमता _____

१४. उपकरणों की व्यवस्था

उपकरणों की विभागानुसार सूची एवं प्रति
वर्ष वृद्धि सम्बन्धी विनिर्देश ।

- (क) चिकित्सा उपकरण _____
- (ख) वैज्ञानिक उपकरण _____
- (ग) सहयोगी उपकरण _____

१५. जनशक्ति कार्यक्रम

विभागानुसार एवं प्रत्येक वर्ष में प्रावधान

- (क) पूर्णकालिक शिक्षक वर्ग _____
- (ख) तकनीकी वर्ग _____
- (ग) प्रशासनिक वर्ग _____
- (घ) सहायक वर्ग _____
- (ङ). वेतन का ढाँचा _____
- (च) वेतन अदायगी का प्रकार _____
- (छ) भर्ती प्रक्रिया _____
- (ज) भर्ती का क्रम बद्ध कार्यक्रम _____

१६. भवन कार्यक्रम

- (क) विभाग, लैक्चर थिएटर, परीक्षा हॉल, संग्रहालय इत्यादि _____
- (ख) स्टाफ क्वार्टर _____
- (ग) स्टाफ एवं छात्रों के लिए आवास _____
- (घ) प्रशासनिक कार्यालय _____
- (ङ) पुस्तकालय _____
- (च) सभागार _____
- (छ) शिक्षण रसायनशाला _____
- (ज) शव गृह _____
- (झ) सांस्कृतिक एवं मनोरंजन केन्द्र _____
- (ञ) क्रीडा स्थल _____
- (ट) वनौषधि उद्यान _____
- (ठ) अन्य सुविधाएं _____
- (अन्य सुविधाओं का नाम बताएं)

१७. निर्दिष्ट क्रिया कलापो का प्रस्तावित क्रमबद्ध तथा त्रैमासिक कार्यक्रम

- (क) भवन के खाका और उसके पूरा होने का विवरण
 (ख) स्थानीय निकर्यों का अनुमोदन
 (ग) सिविल निर्माण
 (घ) आभियान्त्रिक सेवाओं एवं उपकरणों का प्रावधान
 (ङ). स्टाफ की आवयकता
 (च) प्रवेश की अनुसूची

१८. परियोजना की लागत

- (क) भूमि की पूंजीगत लागत
 (ख) भवन
 (ग) संयंत्र एवं मशीनरी
 (घ) चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं सहायक उपकरण
 (ङ). फर्नीचर एवं उपस्कर
 (च) प्रारम्भिक एवं परिचालन से पूर्व के व्यय

१९. परियोजना के वित्तीय संसाधन

- (क) आवेदक का अंशदान
 (ख) अनुदान
 (ग) दान
 (घ) लाभांश
 (ङ). आवधिक ऋण
 (च) अन्य स्रोत, यदि कोई हो

२०. पूर्वानुमानित राजस्व

- (क) शुल्क ढाँचा
 (ख) अस्पताल के प्रयोक्ता प्रभार

(ग) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक राजस्व _____
 २१. पूर्वानुमानित व्यय _____

(क) परिचालन प्रभार _____
 (ख) अवमूल्यन _____

२२. परिचालन परिणाम

(क) आय का विवरण _____
 (ख) नकद राशि का विवरण _____
 (ग) परियोजित तुलन-पत्र _____

२३. विद्यमान अस्पताल का नाम, पता तथा विवरण

(क) शय्या क्षमता _____
 (ख) शय्याओं का बँटवारा एवं शय्याओं का अधिभोग _____
 तथा क्या प्रतिछात्र तीन अन्तरंग रोगियों के मानदण्ड पूरे होंगे । _____
 (ग) निर्मित क्षेत्र _____
 (घ) नैदानिक एवं परा - नैदानिक विषय _____
 (ङ) बहिरंग रोगी विभागों की संख्या _____
 तथा विभागानुसार उपस्थिति _____
 (च) वास्तुशिल्पीय तथा अभिन्यास योजनाएं _____
 (छ) चिकित्सीय/सहायक उपकरणों की सूची _____
 (ज) आभियान्त्रिक सेवाओं की क्षमता और विन्यास _____
 (झ) अस्पतालीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं _____
 अन्य सहायक एवं अनुसमर्थित सेवाएं _____
 (वर्गक्रम में स्टाफ की क्षमता) _____

भाग II**विकास एवं विस्तारण कार्यक्रम**

२४. विद्यमान अस्पताल के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि का विवरण

- | | |
|---|-------|
| (क) भूमि का ब्यौरा | _____ |
| (ख) चिकित्सा महाविद्यालय तथा प्रस्तावित अस्पताल की अवस्थिति | _____ |
| (ग) स्थान विवरण | _____ |
| (घ) भूखण्ड का आकार | _____ |
| (ङ) अनुज्ञेय फर्श स्थान निर्देशिका | _____ |
| (च) भूमि आधिपत्य | _____ |
| (छ) भवन की उचाई | _____ |
| (ज) मार्ग सुगमता | _____ |
| (झ) जनवाहनों की उपलब्धता | _____ |
| (ञ) विद्युत आपूर्ति | _____ |
| (ट) जल आपूर्ति | _____ |
| (ठ) मल-निष्कासन व्यवस्था | _____ |
| (ड) संचार सुविधा | _____ |
| (ढ) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का मास्टर प्लान | _____ |
| (ण) अभिन्यास योजना, अनुभाग | _____ |
| (त) उँचाई एवं तल के अनुसार क्षेत्रफल की गणना | _____ |

२५. विकसित नैदानिक कार्यक्रम :-

- | | |
|---|-------|
| विस्तारण कार्यक्रम के अन्तर्गत | _____ |
| अतिरिक्त नैदानिक एवं परा-नैदानिक | _____ |
| क्रियाकलापों के विस्तार का प्रत्येक वर्ष का विवरण | _____ |

२६. उन्नयन क्रियात्मक कार्यक्रम

- (क) विषयानुक्रम तथा सेवा अनुक्रम में क्रियात्मक आवश्यकताएं _____
 (ख) विभाजित क्षेत्र _____
 (ग) विशिष्टता के अनुसार शय्याओं का विभाजन _____

२७. भवन विस्तारण कार्यक्रम

प्रति वर्ष अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए

- (क) विभाग, लैक्चर थिएटर, परीक्षा हॉल इत्यादि _____
 (ख) अस्पताल _____
 (ग) स्टाफ क्वार्टर _____
 (घ) स्टाफ एवं छात्रों के लिए आवास _____
 (ङ) अन्य सहायक भवन _____

२८. योजना एवं विन्यास

अस्पताल का उन्नयन मास्टर प्लान तथा

- (क) विन्यास योजना _____
 (ख) अनुभाग _____
 (ग) उँचाई _____
 (घ) अस्पताल के क्षेत्रफल की तल के अनुसार गणना _____
 (ङ) सहायक भवनों के क्षेत्रफल की तल के अनुसार गणना _____

२९. आभियान्त्रिक सेवाओं तथा अस्पताल सेवाओं

की क्षमता एवं विन्यास के विकास _____
 अथवा परिवर्धन का विवरण _____

३०. उपकरण कार्यक्रम

उन्नत विभागानुसार उपकरणों की सूची जिसमें प्रति वर्ष मात्रा एवं विनिर्देशन की अनुसूची सन्निहित हो।

- (क) चिकित्सीय उपकरण _____
 (ख) वैज्ञानिक उपकरण _____
 (ग) सहयोगी उपकरण _____

३१. उन्नत जनशक्ति कार्यक्रम

विभागानुसार एवं प्रति वर्ष प्रावधान

- (क) पूर्णकालिक शिक्षक वर्ग _____
 (ख) तकनीकी वर्ग _____
 (ग) प्रशासनिक वर्ग _____
 (घ) सहायक वर्ग _____
 (ङ). वेतन का ढाँचा _____
 (च) वेतन अदायगी का प्रकार _____
 (छ) भर्ती प्रक्रिया _____
 (ज) भर्ती का क्रमबद्ध कार्यक्रम _____

३२. विस्तारण योजना - निर्दिष्ट क्रिया कलापो का प्रस्तावित क्रमबद्ध कार्यक्रम तथा त्रैमासिक अनुसूची

- (क) भवन नमूने का प्रारम्भ एवं पूरा होना _____
 (ख) स्थानीय निकायों का अनुमोदन _____
 (ग) सिविल निर्माण _____
 (घ) अस्पतालीय सेवाओं का अभियान्त्रिक प्रावधान _____
 (ङ). चिकित्सीय एवं सहायक उपकरणों का प्रावधान _____
 (च) स्टाफ की आवश्यकता _____
 (छ) प्रवेश का कार्यक्रम _____

३३. परियोजना की लागत

(क) भूमि की पूंजीगत लागत

(ख) भवन

(ग) सयंत्र एवं मशीनरी

(घ) चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं सहायक उपकरण

(ङ). फर्नीचर एवं उपस्कर

(च) परिचालन से पूर्व के और प्रारम्भिक व्यय

३४. परियोजना के वित्तीय संसाधन

(क) प्रार्थी का अंशदान

(ख) अनुदान

(ग) दान

(घ) लाभांश

(ङ). आवधिक ऋण

(च) अन्य स्रोत, यदि कोई हो

३५. पूर्वानुमानित राजस्व

(क) शुल्क ढॉचा

(ख) अस्पताल के उपयोक्ता प्रभार

(ग) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक राजस्व

३६. पूर्वानुमानित व्यय

(क) परिचालन लागत

(ख) अवमूल्यन

३७. परिचालन परिणाम

(क) आय का विवरण

(ख) नकद राशि का विवरण

(ग) परियोजित तुलन-पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नों की सूची

१. उपविधि/विज्ञप्ति एवं एसोसिएशन के नियम/न्यास दस्तावेजों की सत्यापित प्रति
२. पंजीयन/संस्थापन के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति
३. गत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र
४. कुल उपलब्ध भूमि की स्वामित्व के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति
५. भूमि उपयोगार्थ उपलब्ध स्थान की क्षेत्रीय योजना की सत्यापित प्रति ।
६. विद्यमान अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण
७. सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रति ।
८. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति ।
९. आवेदक के बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को प्रार्थी के वित्तीय रिकार्ड की स्वतन्त्र जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।
१०. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य अनुलग्नक (कृपया विवरण दें)

नोट :- सभी प्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो ।

प्रपत्र-२

(देखे विनियम ४ का उपनियम २)

अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

१. आवेदक का नाम
(स्पष्ट शब्दों में) _____
२. पूरा पता, पिन कोड
दूरभाष संख्या, फ़ैक्स, ई-मेल
(स्पष्ट अक्षरों में) _____
३. मुख्यालय और शाखा कार्यालय, यदि कोई हो,
पता, पिन कोड, दूरभाष संख्या, टेलिफ़ैक्स,
फ़ैक्स, ई-मेल _____
४. आवेदक की स्थिति
राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/
अथवा विश्वविद्यालय/न्यास _____
५. पंजीयन/संस्थापन
(संख्या एवं तिथि, यदि कोई है) _____
६. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम
एवं पता _____
७. स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के प्रवेश का वर्ष _____
८. प्रथम प्रविष्ट स्नातकीय बैच की समाप्ति का माह एवं वर्ष _____
९. अनुमोदित सीटों की संख्या और विद्यमान स्नातक/स्नातकोत्तर _____
१०. पाठ्यक्रम के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता
की तिथि _____

११. प्रस्तावित नया अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम का नाम -----
११. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदित सीटों की संख्या -----
१२. विवरण देवें :-
- (क) अतिरिक्त वित्तीय आबंटन -----
- (ख) अतिरिक्त स्थान, उपकरण एवं
अन्य अवसंरचना सुविधा का प्रावधान -----
- (ग) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान -----
१३. अन्य संबंधित सूचना

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

तिथि :

स्थान :

अनुलग्नकों की सूची

१. सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी “अनापत्ति प्रमाण पत्र” की सत्यापित प्रति
२. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति ।
३. आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को प्रार्थी के वित्तीय अभिलेख की स्वतन्त्र जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।
४. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा पहले से यदि अनुमोदित है तो महाविद्यालय/संस्थान को मान्यता देने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के पत्र की सत्यापित प्रति

नोट :- सभी प्रतियों राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो ।

प्रपत्र-३

(देखे विनियम ४ का उपनियम ३)
प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

१. आवेदक का नाम
(स्पष्ट शब्दों में) _____
२. पूरा पता, पिन कोड
दूरभाष संख्या, फ़ैक्स, ई-मेल
(स्पष्ट अक्षरों में) _____
३. मुख्यालय और शाखा कार्यालय,
यदि कोई हो, पता पिन कोड,
दूरभाष संख्या, टेलेक्स, फ़ैक्स, ई-मेल _____
४. आवेदक की स्थिति
राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/
अथवा विश्वविद्यालय/न्यास _____
५. पंजीयन/संस्थापन
(संख्या एवं तिथि, यदि कोई है) _____
६. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम
एवं पता _____
७. स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के प्रवेश का वर्ष _____
८. प्रथम प्रविष्ट स्नातकीय बैच की समाप्ति का माह एवं वर्ष _____

६. अनुमोदित सीटों की संख्या और _____
 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्यता की तिथि _____
 १०. प्रत्येक विषय/ पाठ्यक्रम के लिए आवेदित सीटों की संख्या _____
११. विवरण दें :-
- (क) अतिरिक्त वित्तीय आबंटन _____
- (ख) अतिरिक्त स्थान, उपकरण एवं _____
 अन्य अवसंरचना सुविधा का प्रावधान _____
- (ग) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान _____
१३. अन्य संबंधित सूचना _____

आवेदक के हस्ताक्षर
 पूरा नाम
 पद

तिथि :

स्थान :

अनुलग्नकों की सूची

१. सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रति
२. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति ।
३. आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को प्रार्थी के वित्तीय अभिलेख की स्वतन्त्र जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।
४. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा पहले से यदि अनुमोदित है तो महाविद्यालय/संस्थान को मायता देने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के पत्र की सत्यापित प्रति

नोट :- सभी प्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो ।

प्रपत्र ४

(देखे विनियम ६ का उपबन्ध १ (ग) २ (क) एवं ३ (क))

राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र

संख्या -----

सरकार

भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग

तिथि -----

सेवा में (आवेदक का नाम एवं पता)

विषय:- अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सन्दर्भ :

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है :-

१. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब संस्थानों की संख्या ।
२. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा और आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या ।
३. राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या ।
४. राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या ।

५. राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या ।
६. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सकों की संख्या ।
७. राज्य में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सकों एवं - जनसंख्या का अनुपात ।
८. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा ।
९. छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें ।
१०. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य ।
११. प्राप्य आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सक जनसंख्या अनुपात

----- (व्यक्ति का नाम) ने ----- में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है । प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् ----- सरकार ने आवेदक ----- को ----- सीटों के साथ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए/----- से ----- सीटों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने/----- पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास १०० शय्याओं वाला अस्पताल है जिसकी स्थापना -----वर्ष को हुई थी ।

(ख आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/ ----- पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना) जनहित में वांछनीय है ।

(ग) ----- (न्यास का नाम) द्वारा ----- में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/----- पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित/विद्यमान महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है । आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी ।

भवदीय

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)
कार्यालय मुहर

प्रपत्र ५

(देखें विनियम ६ के उपबन्ध १ (घ), २ (ख) और ३ (ख))

संबद्धता की सहमति

क्रमांक-----

विश्वविद्यालय-----

स्थान-----

दिनांक-----

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ----- विश्वविद्यालय ने भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७० (१९७० का ४८) की धारा १३ (क) के अधीन अनुमति देने की शर्त पर ----- (आवेदक का नाम) को ----- में ----- सीटों के साथ प्रस्तावित आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब प्रस्तावित महाविद्यालय को संबद्धता देना/ ----- पाठ्यक्रम में ----- सीटों से ----- तक बढ़ाना/ ----- पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है ।

कुलसचिव

टिप्पणी :- आवेदक को सम्बद्धता की सहमति जारी करते समय एक प्रति प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट के साथ सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, भारतीय रैडक्रास सोसाईटी बिल्डिंग, नई दिल्ली-११०००१ को प्रेषित करें ।

प्रपत्र ६
(देखे विनियम ७)
केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाएं

संख्या -----

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्-----

स्थान -----

तिथि -----

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, (आयुष)
भारतीय रैडक्रास सोसायटी भवन,
१, रैडक्रास रोड
नई दिल्ली- 110001

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक _____ दिनांक _____ को संदर्भित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त परिदर्शन दल द्वारा _____ को प्रस्तावित _____ (महाविद्यालय का नाम) जिसकी स्थापना राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/न्यास सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा _____ पर जानी है में उपलब्ध भौतिक एवं अन्य अवसंरचना सुविधाओं का परिदर्शन किया गया था। परिदर्शन प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

२. परिदर्शन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित कागजात परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सम्मुख दिनांक _____ को सम्पन्न बैठक में रखे गए थे। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात, कार्यकारिणी समिति ने स्कीम को अनुमोदित/अनानुमोदित करने का निर्णय लिया सामान्य निकाय की _____ को के सम्पन्न बैठक में कार्यकारिणी समिति के निर्णय को अनुमोदित किया गया है।

३. स्कीम एवं परिदर्शन प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय परिषद् निम्न निर्णय पर पहुंची :-

- (i) कि आवेदक पात्रता और अर्हक मानदण्डों को पूरा करता है ।
- (ii) कि आवेदक के पास केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथा उल्लिखित, प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के अनुरूप आवश्यक अवसंरचना सुविधा, छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा सहित आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उचित तथा समयबद्ध कार्यक्रम है ताकि अनुमति प्रदान करने की तिथि के चार वर्ष के भीतर सुसज्जित महाविद्यालय स्थापित हो सके।
- (iii) कि आवेदक विद्यमान अस्पताल के उन्नयन अथवा महाविद्यालय के प्रांगण में ही नया अस्पताल स्थापित करने अथवा दोनों के माध्यम से केन्द्रीय परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शय्याओं तथा अवसंरचना सुविधाओं को महाविद्यालय की स्थापना के चार वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराने के लिए शक्य तथा समयबद्ध कार्यक्रम रखता है ।
- (iv) कि आवेदक के पास प्रस्तावित महाविद्यालय को स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबन्धीय एवं वित्तीय क्षमता तथा शिक्षण अस्पताल सहित सहायक सहयोगी सुविधाएं हैं ।
- (v) कि आवेदक के पास केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित मानदण्डों के अनुरूप संकाय और स्टाफ की भर्ती के लिए उचित और समयबद्ध कार्यक्रम है तथा आवश्यक पद सृजित समझे जावें ।
- (vi) कि आवेदक ने किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया है
- (vii) अवसंरचना अथवा संकाय में क्या कोई कमियां हैं
(और यह भी इंगित करें कि वे दूर होने योग्य हैं या नहीं)

अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों मानदण्डों के अनुसार स्थापना के समय में आवश्यकताएं	उपलब्ध	टिप्पणी
१.	स्टाफ		
२.	भवन		
३.	उपकरण		
४.	संकाय		
५.	भेषजशाला		
६.	वनौषधि उद्यान		
७.	अन्य आवश्यकताएं		

उपर्युक्त परिस्थिति में परिषद भारत सरकार को इस आशय का पत्र जारी करने/अथवा जारी न करने के लिए संस्तुति करती है ।

(यदि परिषद आशय का पत्र जारी करने की अनुशंसा नहीं करती है)

स्कीम को अचानामोदित करने के कारण निम्न प्रकार हैं :-

(क) _____

(ख) _____

(ग) _____

स्कीम मूल रूप में वापिस की जाती है ।

भवदीय

निबन्धक-सह-सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुलग्नक:- निरीक्षण प्रतिवेदन तथा स्कीम

अनुसूची
(देखे विनियम ५)
आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा उसकी प्रक्रिया के लिए अनुसूची

क्रम संख्या	प्रक्रिया की स्थिति	अन्तिम तथि
१.	केन्द्र सरकार द्वारा आवेदन की प्राप्ति	किसी भी वर्ष में १ अप्रैल से ३० अप्रैल तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं) ।
२.	तकनीकी छानबीन के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन पत्रों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को प्रेषित करना ।	३१ मई
	केन्द्रीय परिषद द्वारा केन्द्रीय सरकार को अनुशंसाएं भेजना।	३१ अगस्त
४.	जॉच, यदि धारा १३ (क) की उपधारा (५) के अधीन, कोई हो तो केन्द्र सरकार द्वारा पत्र जारी करना ।	३० सितम्बर
५.	की गई जॉच के लिए आवेदक से प्राप्त उत्तर	३१ अक्टूबर
६.	अनुमति पत्र जारी करने के लिए विचारार्थ केन्द्रीय परिषद द्वारा स्कीम की प्राप्ति	३० नवम्बर
	अनुमति पत्र जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय परिषद की अनुशंसाएं	२८ फरवरी
८.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना	३१ मार्च

टिप्पणी:- १. आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब महाविद्यालय खोलने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के भाग १ में दी गई सूचना अर्थात् संगठन, मूल अवसंरचना सुविधाएं, आवेदक की प्रबन्धीय एवं वित्तीय क्षमता के सम्बन्ध में दी गई सूचना की केन्द्रीय परिषद आवेदन के माध्यम से जॉच करेगी और तत्पश्चात केन्द्रीय परिषद केन्द्रीय सरकार को आशय पत्र जारी करने की अनुशंसा करेगी ।

२. यदि आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब महाविद्यालय खोलने के लिए उपर्युक्त अनुसूची का अनुपालन नहीं किया गया हो और केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश कर लिया गया हो तो नए चिकित्सा महाविद्यालय को/नवीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

प्रेम राज शर्मा, निबन्धक-सह-सचिव
[विज्ञापन-3/4/असाधारण/124/03]

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2004

No. 3-14/2004-Norms.—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :-

1. Short title and commencement -

(1) These regulations may be called the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition :- In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;

(b) "Form" means a Form annexed to these regulations;

(c) "section" means a section of the Act; and

(d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The permission for establishment of a medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity -

Any person intending to establish a medical college or any medical college intending to open a new or higher course of study or training or intending to increase admission capacity in any course of study or training shall follow the procedure and criteria mentioned in regulations 4 to 6 and submit a scheme to the Central Government along with an application in the form specified in regulation 4.

4. Application Form of scheme -

- (1) Any person intending to establish a medical college shall submit the scheme along with an application in Form- 1.
- (2) Any medical college intending to open a new or higher course of study or training shall submit the scheme along with an application in Form- 2.
- (3) Any medical college intending to increase its admission capacity in any course of study or training shall submit the scheme along with an application in Form - 3.

5. Authority to whom the schemes and applications is to be submitted -

Applications and schemes under regulation 4 shall be submitted to the Secretary to the Government of India, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) as per the schedule annexed to the regulations.

6. Eligibility for making an application -

- (1) For making an application under sub-regulation (1) of regulation 4, a person or a medical college shall be eligible if, -
 - (a) his one of the objectives is to impart education about Ayurveda or Siddha or Unani Tibb;
 - (b) owns or possesses on lease of ninety nine years, a suitable single

- plot of land, measuring not less than ten acres if the proposal is for admitting up to fifty student, and not less than fifteen acres, if the proposal is for admitting up to one hundred students, and undertake to establish the medical college in the said plot of land;
- (c) has obtained 'No Objection Certificate' in Form- 4 from the concerned State Government for establishing a new medical college at the proposed site;
 - (d) has obtained a 'Consent of Affiliation' in Form- 5 for establishing a new medical college from a University established under any Central or State statute;
 - (e) owns and manages a hospital in indian medicines containing not less than one hundred beds with necessary facilities and infrastructure;
 - (f) has not already admitted students in any class or standard or course or training of the proposed medical college; and
 - (g) is in a position to provide two performance bank guarantees from a Scheduled Commercial Bank valid for a period of five years in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi as follows:
 - (i) for the establishment of medical college-

upto 50 seats	- rupees one crore
51 - 100 seats	- rupees twenty lakhs per ten or less seats
 - (ii) for the establishment of the teaching hospital and its infrastructure facilities-

upto 150 beds	- rupees one and a half crore
additional beds	- rupees 10 lakhs per 10 or less beds

Exemption: The above condition shall not apply to the persons who are State Governments/Union Territories if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme.

- (2) For making an application under sub-regulation (2) of regulation 4, a medical college shall be eligible if, -
 - (a) has obtained the permission of the concerned State Government or the Union Territory Administration (Form- 4);
 - (b) has obtained the concurrence of the University established under

- any Central or State Statute (Form- 5);
- (c) is able to produce documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per Central Council norms;
- (d) is recognized by the Central Council for running Undergraduate or Postgraduate course in Ayurveda/Siddha/Unani for at least 5 ½ and 3 years respectively;
- (e) is axempted by the Central Government for being owned or managed by the Central Government/State Government from fulfilling the criteria specified in sub-clause (d);
- (f) selection of students for post-graduate courses is made strictly on the basis of academic merit as prescribed by Central Council;
- (g) the nomenclature of post-graduate degree or diploma and super-specialty courses and teacher-student ratio is as laid down in the concerned Regulations;
- (g) the Ayurved/Siddha/Unani Tibb College/institution provides a bank guarantee in favour of the Central Council of Indian Medicine from a Scheduled Commercial Bank for providing additional infrastructural facilities for each discipline as follows:-

Post-graduate course	-	rupees fifty lakhs
Super-specialty course	-	rupees one crore
Any other recognised course	-	rupees thirty lakhs

Exemption: The above condition shall not apply to colleges –

- (i) who are governed by the State Governments; provided that they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them, and
- (ii) for opening any course in the subject where the Council has already recognized the post-graduate course on the same subject.
- (3) For making application under sub-regulation (3) of regulation 4, a medical college shall be eligible if,
- (a) has obtained the permission of the concerned State Government or the Union Territory Administration (Form- 4);

- (b) has obtained the concurrence of the University established under any Central or State Statute (Form- 5);
- (c) has produced documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per Central Council norms;
- (d) has completed a period of five and a half year in case of Undergraduate course and three years in case of Postgraduate course(s).
- (e) recognized by the Central Council for running Undergraduate/Post-graduate/Super-speciality/any other recognised course;
- (f) the ratio of teaching staff and students is maintained as laid down in the regulation on Minimum Standards and requirements for admission in the medical college;
- (g) the maximum number of admissions in Undergraduate course does not exceed 100 ;
- (h) provides a bank guarantee in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi from a Scheduled Commercial Bank for providing additional infrastructural facilities for each course/discipline as follows:-

Under-graduate course:	Up to 50 seats	rupees twenty five lakhs
	Between 51 to 100 seats	rupees fifty lakhs
Post-graduate degree:	per seat	rupees five lakhs
Super-specialty course:	per seat	rupees ten lakhs
Any other recognised course:	per seat	rupees two lakhs

Exemption: The above condition shall not apply to colleges who are governed by the State/UT Governments provided that they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them;

7. Recommendation of the Central Council –

On receipt a scheme from the Central Government under sub-section (2) of section 13A, the Central Council shall submit its recommendations to the Central Government in Form-6.

8. Fee to be submitted along with application –

An application and scheme to be submitted under regulation 4 shall be accompanied by the following admission fee by way of a demand draft/pay order payable to the 'Central Council of Indian Medicine' New Delhi :-

- (a) to establish medical college – rupees three lakhs fifty thousand.
- (b) to open a new or higher course of study or training – rupees two lakhs per course.
- (c) to increase admission capacity – rupees two lakhs.

9. Permission Order –

The order passed by the Central Government under sub-section (9) of section 13A shall clearly indicate the preliminary requirement about setting up of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipments, faculty and staff before admitting the first batch of students.

FORM – 1**(see sub-regulation (1) of regulation 4)****APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH
A NEW MEDICAL COLLEGE****Part – I**

1. Name of the applicant
(in BLOCK letters) _____
2. Complete Address with Pin code,
telephone nos., fax and e-mail)
(in BLOCK letters) _____
3. Address of Head Office and
Branch Office, if any, with Pin code,
telephone nos, telex, fax and e-mail) _____
4. Status of applicant whether
State Government/Union Territory/
or University or Trust _____
5. Registration/incorporation
(Number and date, if any) _____
6. Name and address of Affiliating
University _____

PART I

7. Basic Infrastructure
Facilities available for Medical college
and attached Hospital
(Attach separate sheet if necessary) _____
8. Composition of the Trust,
Particulars of members of the Society/
Trust, Head or Project Director of the
proposed Medical College, head of the
existing Hospital, Qualifications
and Experience in the field of Medical
education of members, Head of Project _____

or Director and head of the Hospital.

9. Financial Capability

(Balance sheet for the last three years to be provided if the applicant is a Trust. Details of the resources to be prescribed).

10. Name and Address of the proposed Ayurved/Siddha/Unani Tibb College

11. Characteristics of proposed site of the Medical College: -

(a) topography

(b) plot size

(c) permissible floor space index

(d) ground coverage

(e) building height

(f) road access

(g) availability of public transport

(h) electric supply.

(i) water Supply

(j) sewerage connection

(k) communication facilities

(l) Master Plan of the proposed Medical College

(m) Layout plans, sections

(n) elevations and floor wise area calculations

12. Educational Programme

(a) proposed annual intake capacity of students

(b) mode of admission

(c) reservation/preferential allocation of seats.

13. Functional programme

(a) Department wise and service wise functional requirements

(b) Area distribution and room wise sitting capacity.

14. Equipment programme

Department wise list of equipments with year wise schedule of quantities and specifications –

a) medical equipments

b) scientific equipments

c) allied equipments

15. Man-power programme

Department wise and year wise provisions-

a) full time teaching staff

b) technical staff

c) administrative staff

d) ancillary staff

e) salary structure

f) mode of payment of salary

g) recruitment procedure

h) recruitment calendar

16. Building programme

a) departments, lecture theatres,
examination hall, museum etc

b) staff quarters

c) staff and students hostels

d) administrative office

e) library

f) auditorium

g) teaching pharmacy

h) mortuary

i) cultural and recreational center

j) sports complex

k) medicinal plants garden

l) Other facilities
(state name of other facilities)

17. Proposed Phase programme and quarter wise schedule of activities indicating –

a) Commencement and completion
of building design

b) local body approvals

c) civil construction

d) provision of engineering services
and equipments

- e) requirement of staff _____
- f) schedule of admission _____

18. Project cost

- a) capital cost of land _____
- b) buildings _____
- c) plant and machinery _____
- d) medical, scientific and allied equipments _____
- e) furniture and fixtures _____
- f) Preliminary & preoperative expenses _____

19. Means of financing the project

- a) contribution of the applicant _____
- b) grants _____
- c) donations _____
- d) equity _____
- e) term loans _____
- f) other sources, if any _____

20. Revenue assumptions

- a) fee structure _____
- b) hospital user charges _____
- c) estimated annual revenue from various sources _____

21. Expenditure assumptions

a) operating expenses _____

b) depreciation _____

22. Operating results

a) income statement _____

b) cash flow statement _____

c) projected balance sheets _____

23. Name, address and details of the existing hospital

a) bed strength _____

b) bed distribution, bed occupancy and whether a norm of three in-patients per student would be fulfilled. _____

c) built up area _____

d) clinical and para clinical disciplines _____

e) number of out patient departments and department wise attendance _____

f) architectural and layout plans _____

g) list of medical/allied equipments _____

h) capacity and configuration of engineering services _____

i) hospital services, administrative services, other ancillary and support services (category wise staff strength) _____

Part II**UPGRADATION AND EXPANSION PROGRAMME:**

24. Details about the additional land for expansion of the existing hospital
- a) land particulars
 - b) location of medical college and proposed hospital
 - c) topography
 - d) plot size
 - e) permissible floor space index
 - f) ground coverage
 - g) building height
 - h) road access
 - i) availability of public transport
 - j) electric supply
 - k) water Supply
 - l) sewerage connection
 - m) communication facilities
 - n) Master Plan of the proposed Medical College
 - o) Layout plans, sections
 - p) elevations and floor wise area calculations

25. Upgraded Clinical Programme:-

Year wise details of the additional clinical and para clinical activities envisaged under the expansion programme

26. Upgraded functional programme: -

a) specialty wise and service wise functional requirements

b) area distribution

c) specialty wise bed distribution

27. Building expansion programme: -

Year wise additional built-up area to be provided for --

a) departments, lecture theatres, examination hall etc

a) hospital

b) staff quarters

c) staff and students hostels

d) other ancillary buildings

28. Planning and Layout: -

Upgraded master plan of the hospital complex along with:-

a) Layout plans

b) Sections

c) Elevations

d) Floor wise area calculation of the hospital

- e) Floor wise area calculation
of ancillary buildings _____
29. Details about up gradation
or addition in the capacity
and configuration of
engineering services and
hospital services _____
30. Equipment programme:

Upgraded department wise list of equipments with year wise schedule of quantities
and specifications –
- a) medical equipments _____
- b) scientific equipments _____
- c) allied equipments _____
31. Upgraded manpower programme:

Department wise and year wise provisions-
- i) full time teaching staff _____
- j) technical staff _____
- k) administrative staff _____
- l) ancillary staff _____
- m) salary structure _____
- n) mode of payment of salary _____
- o) recruitment procedure _____
- p) recruitment calendar _____
32. Expansion of scheme - proposed phase programme and quarter wise schedule of
activities indicating –
- a) commencement and completion
of building design _____

- b) local body approvals _____
- c) civil construction _____
- d) provision of engineering and hospital services _____
- e) provision of medical and allied equipments _____
- f) requirement of staff _____
- g) schedule of admission _____

33. Project cost

- a) capital cost of land _____
- b) buildings _____
- c) plant and machinery _____
- d) medical, scientific and allied equipments _____
- e) furniture and fixtures _____
- f) preliminary & preoperative expenses _____

34. Means of financing the project :-

- a) contribution of the applicant _____
- b) grants _____
- c) donations _____
- d) equity _____
- e) term loans _____
- f) other sources, if any _____

35. Revenue assumptions

a) fee structure

b) hospital user charges

c) estimated annual revenue
from various sources

36. Expenditure assumptions

a) operating expenses

b) depreciation

37. Operating results

a) income statement

b) cash flow statement

c) projected balance sheets

SIGNATURE OF APPLICANT

List of enclosures:

1. Certified copy of Bye Laws/Memorandum and Articles of Association/Trust deed.
2. Certified copy of certificate of registration/incorporation.
3. Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership.
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital
7. Certified copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government/Union Territory Administration.
8. Certified copy of the consent of affiliation issued by a recognized University.
9. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
10. Other enclosures as per the various parts of applications (Please indicate details).

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-2**(See sub-regulation (2) of regulation 4)****Application for permission to open a new or higher Course of study or training**

1. Name of the applicant
(in BLOCK letters)
2. Complete Address with PIN code,
telephone nos., fax and e-mail)
(in BLOCK letters)
3. Address of Head Office and
Branch Office, if any, with Pin code,
telephone nos, telex, fax and e-mail)
4. Status of applicant whether
State Government/Union Territory/
or University or Trust
5. Registration/incorporation
(Number and date, if any)
6. Name and address of Affiliating
University
7. Year of admission of first batch
for undergraduate course
8. Month & year of completion of
first admitted UG batch

9. No. of seats approved and date of Recognition by CCIM for existing UG/PG course(s)
10. Name of the proposed new or higher course(s) of study
11. Number of seats applied for in each course
12. Details of:
 - (a) additional financial allocation-
 - (b) provision for additional space, equipment and other infrastructure facilities-
 - (c) provision of recruitment of additional staff-
13. Any other relevant information

Date :

Place:

Signature of Applicant

Full Name

Designation

List of enclosures:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government/Union Territory Administration
2. Attested copy of the concurrence of affiliation issued by a recognized University.
3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college/institution.
4. Attested copy of the letter from Central Council of Indian Medicine approving recognition of the college/institution, if already approved by Central Council of Indian Medicine.

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-3

(See sub-regulation (3) of regulation 4)

Application for permission to increase the admission capacity

1. Name of the applicant
(in BLOCK letters)
2. Complete Address with PIN code,
telephone nos., fax and e-mail)
(in BLOCK letters)
3. Address of Head Office and
Branch Office, if any, with Pin code,
telephone nos, telex, fax and e-mail)

4. Status of applicant whether State Government/Union Territory/ or University or Trust
5. Registration/incorporation (Number and date, if any)
6. Name and address of Affiliating University
7. Year of admission of first batch for undergraduate course
8. Month & year of completion of first admitted UG batch
9. No. of Seats approved and date of Recognition by CCIM for existing UG/PG course(s)
10. Name of the course(s) of study applied for increase in admission capacity
11. Number of seats applied for in each subject/course
12. Details of :
 - (a) additional financial allocation-

- (b) provision for additional space, equipment and other infrastructural facilities-
- (c) provision of recruitment of additional staff-

13. Any other relevant information

Date :
Place :

Signature of Applicant
Full Name
Designation

List of Enclosures:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government/Union Territory Administration on the prescribed proforma.
2. Attested copy of the concurrence of the University to which the college/institute is affiliated.
3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college/institution.
4. Attested copy of the letter from Central Council of Indian Medicine approving recognition of the college/institution, if already approved.

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-4

(See sub clause 1(c), 2(a) and 3(a) of regulation 6)

No Objection Certificate from the State Government

No.....

Government of -----

The Department of ISM,

To

Dated, the _____

(Name and address of applicant),

Subject : No Objection Certificate**Reference :**

Sir,

The desired "No Objection Certificate" in respect of following facts is being issued:-

- (1) Number of Medical and Ayurved or Siddha or Unani Tibb institutions already existing in the State.
- (2) Number of seats available or number of Medical and Ayurved or Siddha or Unani Tibb practitioners being produced annually.
- (3) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb practitioners registered with the State Council/Board of Indian Systems of Medicine.
- (4) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb practitioners in State Government Service.
- (5) Number of vacant Government posts of Ayurved or Siddha or Unani Tibb doctors in the State, particularly in rural/difficult areas.
- (6) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb doctors registered with the State Employment Exchanges.
- (7) Ayurved or Siddha or Unani Tibb Doctors-population ratio in the State.
- (8) How the establishment of the medical College/increase in admission capacity/starting----- course1 would resolve the problem of deficiencies of qualified medical personnel in the State and improve the availability of such